फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री भंवरलाल** विपक्षी :–**श्री देवीलाल वगैरह**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– **66/25**

जीसीएमएस नम्बर :–2025/320

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.04.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस टी. आई. सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 1713 रकबा 0.9712 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 1712 रकबा 2.3876 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के मौरूस छगनलाल तथा अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 के मौरूस छगनलाल फौत हो चुके हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 1 को पाबंद कराना चाह रहा हैं परन्तु विपक्षी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी संख्या 1 मौके पर निर्माण करने पर उतारू हैं। इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 मौके पर निर्माण कर भौतिक स्वरूप में परिवर्तन कर देता है तो इससे दोनों ही पक्षों को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा तथा यदि केवल विपक्षी संख्या 1 को ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता	

है तो इससे विपक्षी संख्या 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। प्रकरण में दिनांक 11.06.2025 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना आवश्यक हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 1713 रकबा 0.9712 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 1712 रकबा 2.3876 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य एवं निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली